पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
प्रेस–विज्ञप्ति
<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक 13–01–2021</u>

दिनांक 12/13–01–2021 को रात्रि थाना ठाकुरगंज 01, गुडम्बा 01, पीजीआई 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **<u>इस प्रकार वांछित में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>**

<u>डी0सी0पी0 उत्तरी</u>

अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार

<u>थाना इन्दिरानगर</u>:–दिनांक 13–01–2021 को एस0आई0 श्री राजे८ा यादव थाना इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01–बाल चन्द प्रजापति पुत्र रामफेर प्रजापति निवासी अजयीमऊ थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी को विनय पार्क, विनय विहार कालोनी सुग्गामऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर थाना इन्दिरानगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना काकोरी</u>:–दिनांक 13–01–2021 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी राम८ांकर यादव पुत्र स्व0 टिवराज बहादुर सिंह निवासी ग्राम कुसमी थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि दिनांक 12–01–2021 को समय करीब 12.15 बजे दिन में वादी की पुत्री नन्दनी उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा अपने घर के कमरें की छत में लगे हुक में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। दिनांक 24–11–2019 को वादी ने अपनी पुत्री की ७ादी सुगन्ध सिंह निवासी लकड़मण्डी निकट तम्बाकू कारखाना थाना सआदतगंज, लखनऊ से किया था, ७ादी के बाद से ही वादी की पुत्री के ससुरालीजन 01–सुगन्ध सिंह (पति) 02–श्रीमती ७ीला यादव (सास) 03–रामनरे८ा, वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, और घर से निकाल दिया था और आत्महत्या के लिए उकसाया, जिसकी प्रताड़ना से तंग आकर वादी की पुत्री ने फांसी लगा लिया। इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 18/2021 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 01–सुगन्ध सिंह (पति) 02–रामनरे८ा 03–श्रीमती ७ीला यादव (सास) निवासीगण–ग्राम कुसमी थाना काकोरी लखनऊ के विरूद्व पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एसीपी काकोरी द्वारा की जा रही है।

<u>थाना मोहनलालगंज</u>:–दिनांक 13–01–2021 को बताया गया कि श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र गंगाधर निवासी पुराही खेड़ा मजरा खन्डेदेवी थाना बन्थरा लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 12–01–2021 को वादी के पिता वादी की बहन के घर गये हुऐ थे, कि समय करीब 03.45 बजे दिन में बहन के घर वापस आते समय ग्राम बेहलियाखेड़ा, मजरा

मीनापुर थाना क्षेत्र मोहनलालगंज में अपना खाली प्लाट देखने लगे तो वहां पर मौजूद लल्लन पुत्र सुन्दर निवासी मीनापुर थाना मोहनलालगंज द्वारा वादी की पिता को गाली देने लगे और कहा यहां पर क्या लेने आये हो इस पर समय करीब 03.45 बजे वादी मौके पर पहुचां और विपक्षी लल्लन को गाली गलौज करने से मना किया तो 1-लल्लन पुत्र सुन्दर 2-गुरु प्रसाद 3-रघुविन्द पुत्र गुरुप्रसाद 4-मनोज पुत्र रविशंकर निवासीगण मीनापुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने एक राय होकर वादी को जान से मारने की धमकी देते हुऐ लाठी-डण्डों से मारा पीटा जिससे वादी को चोटें आयी हैं। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 13/2021 धारा 323/504/506 भादवि का अभियोग बनाम 1-लल्लन पुत्र सुन्दर 2-गुरु प्रसाद 3-रघुविन्द पुत्र गुरुप्रसाद 4-मनोज पुत्र रविशंकर निवासीगण मीनापुर थाना मोहनलालगंज लखनऊ के विरूद्व पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राजेन्द्र कान्त थाना मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है।

MEDIA